(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 142-पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 11-11-2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक 480/अपील/2007-08

ग्यासीराम पुत्र चन्दनसिंह तोमर,
निवासी गदाईपुरा ग्वालियर
तहसील व जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1-आकाश अव्यस्क पुत्र बलराम संरक्षक बलराम
2-विकास अव्यस्क पुत्र बलराम संरक्षक बलराम
3-सत्यवृत अव्यस्क पुत्र बलराम संरक्षक बलराम
4-कैलाश पुत्र स्व0रामदयाल
5-सतीश पुत्र स्व0रामदयाल
6-महेश पुत्र स्व0रामदयाल
7-बलराम पुत्र स्व0रामदयाल
निवासीगण ग्राम खरवाया तहसील भितरवार
जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-11-2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण की दादी एवं आवेदक की मॉ तेजोबाई पत्नि स्व0रामदयालके स्वामित्व की भूमि रकबा 2.978 हेक्टेयर 1/5 भाग स्थित ग्राम खेरवाया परगना भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा अपने जीवनकाल में अपने स्वत्व की भूमि 1/5 भाग का वसीयतनामा अनावेदकगण के हित में दिनांक 24-12-2005 को संपादित किया था । तेजोबाई की मृत्यु के बाद नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 01 में पारित आदेश दिनांक 30-5-06 से आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31-7-08 को आदेश पारित कर वसीयतनामा संदेहास्पद पाते हुये प्रकरण निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11-11-2009 को अंतरिम आदेश पारित पक्षकार बनाये जाने का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया, जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई । अपर आयुक्त के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय ने मृत भूमिस्वामी तेजोबाई के स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तरण किये जाने का आदेश दिया था । अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में अनावेदक क्रमांक 7 बलराम को पक्षकार नहीं बनाया गया । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 से 3 ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की, परन्तु अनावेदक क्रमांक 7 को पक्षकार नहीं बनाया गया । आवेदक द्वारा अपत्ति किये जाने पर द्वितीय अपील में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत अनावेदक 7 को पक्षकार नहीं बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदक द्वारा आवेदन का उत्तर प्रस्तुत कर कहा गया कि पक्षकार के असंयोजन का दोष होने के कारण प्रथम व द्वितीय अपील चलने योग्य नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब प्रथम अपील में आवश्यक पक्षकार का असंयोजन रहा है, तब द्वितीय अपील में अनावेदक क्रमांक 7 को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । इसलिये अपर आयुक्त ने आवेदक की आपत्ति को अस्वीकार कर आवेदन को स्वीकार किया है जो पूर्णत: अवैध आदेश होकर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त ने

पक्षकार बनाये जाने का आवेदन स्वीकार करने का जो कारण विवादित आदेश में दर्शाया है वह पूर्णत: त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अनावेदक क्रमांक 7 ने पक्षकार बनाये जाने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया था, इसलिये अनावेदक क्रमांक 7 को प्रथम अपील में पक्षकार न बनाये जाने से तहसील न्यायालय का आदेश अंतिम हो चुका है। अंत में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का विवादित आदेश निरस्त किया जाकर अनावेदक क्रमांक 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत की गई द्वितीय अपील आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रामदयाल के सभी वारिस पुत्र प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 4 लगायत 7 के रूप में पक्षकार है एवं बलराम के वारिस भी अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के रूप में पक्षकार है ऐसी स्थिति में रामदयाल के अन्य पुत्र बलराम को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जाना उसे न्याय से बंचित करना होगा । इसलिये अपर आयुक्त द्वारा बलराम को पक्षकार बनाये जाने का आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का आवेदन स्वीकार करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है। अत: अपर आयुक्त द्वारा द्वारा पारित वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-11-2009 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर